न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प, भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रं.- /पीबीआर/2017

मायनोरिटी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
कार्यालय-प्लाट नंबर-5/1, गोविन्दुपरा, भोपाल
द्वारा अध्यक्ष अब्दुल कवी अंसारी
आयु लगभग 42 वर्ष
आ. श्री ए. एम. अंसारी
निवासी-20, लाला लाजपतराय कालोनी,
बाग दिलकुशा, रायसेन रोड, भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .... अनावेदक

<u>निगरानी अंतर्गत धारा-50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 07.03.2017 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर महोदय, जिला भोपाल अंतर्गत प्रकरण क्रमांक-01/पुनर्विलोकन/2016-17 एवं (12/अपील/2011-12-एस.डी.ओ.) पक्षकारगण मायनोरिटी गृह निर्माण विरूद्ध म.प्र. शासन</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1261—पीबीआर / 17 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1—5—2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 7—3—2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से शासकीय हित प्रभावित हुआ है, और वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा उठाये गये तथ्यों का पुनः सूक्ष्म परोक्षण आवश्यक है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि नवीन आदेश पारित करने के पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देकर प्रकरण का निराकरण किया जाये, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । प्रकरण में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश पत्रिकाओं को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, अतः आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर उपलब्ध है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	